

महिलाओं के विरुद्ध अपराध



v/; k; 7
efgykvk ds fo#) vi jk/k

i fjp;

महिलाओं के विरुद्ध अपराध में लिंग आधारित ऐसी कोई भी हिंसा शामिल है जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं को शारीरिक, यौन अथवा मनोवैज्ञानिक क्षति होती है या होने की सम्भावना रहती है। इसमें ऐसा किये जाने की धमकी, जबरदस्ती अथवा मनमाने ढंग से आजादी का हनन, चाहे यह सार्वजनिक जीवन में हो अथवा निजी जीवन में, शामिल है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 एवं 16 में महिलाओं के समानता के अधिकार को मान्यता दी गयी है। अनुच्छेद 15(3) महिलाओं और बच्चों के प्रति धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेद को प्रतिबंधित करने हेतु राज्य को विशेष प्रावधान बनाने के लिए अनुमति प्रदान करता है। संवैधानिक प्रावधानों तथा विभिन्न लिंग विशेष कानूनों की उपलब्धता के बावजूद महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एवं अपराध की समस्या असाधारण अनुपात में बढ़ी है।

भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है जो वर्ष 2010 में 2.13 लाख सूचित प्रकरण से बढ़कर वर्ष 2014 में 3.37 लाख सूचित प्रकरण हो गयी। विगत चार वर्षों में इनमें 58 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुयी। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की वर्ष 2014 की रिपोर्ट के अनुसार, देश में महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराध की कुल घटनाओं के 11.4 प्रतिशत के साथ उत्तर प्रदेश ने उन राज्यों की सूची में अग्रणी स्थान अर्जित किया जहाँ वर्ष 2014 में महिलाओं के विरुद्ध सर्वाधिक अपराध हुए।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और अपराध एक सामाजिक समस्या है जो लैंगिक असमानता से जुड़ी है और महिलाओं के, बिना किसी भय के स्वतंत्रता और गरिमा के साथ जीने के अधिकार का हनन करती है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपराध सांख्यिकी के लिए स्थापित समिति ने जून 2011 में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में बताया कि 'यह पाया गया है कि आपराधिक घटनाओं का एक बड़ा भाग पुलिस को कभी सूचित नहीं किया जाता इसलिये यह पुलिस अथवा किसी अन्य आँकड़ों में शामिल नहीं हैं'। अग्रेतर, समिति ने निष्कर्ष में कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो महिलाओं के विरुद्ध कुल अपराध के 0.16 प्रतिशत से भी कम को शामिल करता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 (अद्यतन) ने, हिंसा से पीड़ित ऐसी महिलाओं के आंकड़े एकत्र किये जिन्होंने मदद की माँग की, जिसमें पता चला कि शारीरिक और यौन हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं में से केवल 2.1 प्रतिशत ने ही संस्थागत स्रोतों जैसे पुलिस, से सहायता की माँग की। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का उपरोक्त निष्कर्ष बताता है कि प्रदेश में कानून का अनुपालन कराने वाले प्राधिकारियों को प्रति एक लाख महिलाओं की जनसंख्या के सापेक्ष अपेक्षाकृत कम पंजीकृत अपराधों को लेकर संतुष्ट नहीं होना चाहिए।

राज्य से सम्बन्धित विभिन्न अपराध के आंकड़ों तथा पीड़ितों की मदद, क्षतिपूर्ति, संरक्षण एवं पुनर्वास के लिए राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित वित्तीय एवं अन्य सहायता योजनाओं का लेखापरीक्षा में विश्लेषण किया गया और इसके परिणामों की चर्चा नीचे की गयी है:

ys[kki j h{kk i fj .kke

7-1 efgykvk ds fo#) vi jk/k dh ?kVuk; 1

गृह (पुलिस) विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त सूचनाओं से परिलक्षित हुआ कि राज्य में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की घटनाओं में विगत पाँच वर्षों में निरंतर वृद्धि हो रही थी, जैसा कि नीचे दी गयी तालिका में दर्शाया गया है:

rkfydk 7-1%jKT; e 2010&15 ds e/; efgykvk ds fo#) vi jk/k

क्र.सं.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	बलात्कार (धारा 376, भारतीय दण्ड संहिता)	1,582	1,962	2,058	2,940	2,945
2	दहेज के लिए हत्या, दहेज हत्या अथवा इसका प्रयास (धारा 302/304-बी, भारतीय दण्ड संहिता)	2,817	2,865	2,869	3,116	3,119
3	प्रताड़ना- मानसिक तथा शारीरिक दोनों (धारा 498-ए, भारतीय दण्ड संहिता)	7,302	6,540	7,155	8,902	9,476
4	शील भंग करने के आशय से महिलाओं पर हमला (धारा 354, भारतीय दण्ड संहिता)	2,989	3,430	4,106	7,092	7,972
5	स्त्री की लज्जा का अनादर करना (धारा 509, भारतीय दण्ड संहिता)	1	2	14	33	25
6	विदेश से लड़की का आयात करना (21 वर्ष से कम आयु) (धारा 366-बी, भारतीय दण्ड संहिता)	1	2	1	0	1
7	विभिन्न प्रयोजनों के लिए लड़कियों/ महिलाओं का व्यपहरण तथा अपहरण (धारा 363-373, भारतीय दण्ड संहिता)	5,145	6,678	7,057	8,510	8,964
8	दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961	940	887	1,189	1,092	1,100
9	महिला अश्लिष्ट निरूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986	154	197	173	86	49
10	अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956	3	10	7	7	11
11	सती आयोग (निवारण) अधिनियम, 1987	0	0	0	0	0
12	बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1976	0	0	1	1	0
13	चिकित्सकीय गर्भ समापन अधिनियम, 1971	0	0	0	0	0
14	गर्भ धारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994	0	0	4	0	0
15	समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976	0	0	0	0	0
16	भ्रूण हत्या (धारा 315-316, भारतीय दण्ड संहिता)	4	4	1	2	1
17	नाबालिग लड़की का उर्पाजन (धारा 366-ए, भारतीय दण्ड संहिता)	13	8	17	29	31
18	वेश्यावृत्ति हेतु लड़कियों को खरीदना (धारा 373, भारतीय दण्ड संहिता)	0	0	0	0	0
19	वेश्यावृत्ति हेतु लड़कियों को बेचना (धारा 372, भारतीय दण्ड संहिता)	0	0	0	0	0
कुल		20,951	22,585	24,652	31,810	33,694

(स्रोत: गृह (पुलिस) विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना)

तालिका 7.1 में यह देखा जा सकता है कि 2010-11 से 2014-15 के मध्य महिलाओं के विरुद्ध अपराध की घटनाओं में 61 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2013-14 में अपराध में अत्यंत तीव्र वृद्धि हुई, जब इस प्रकार की घटनाओं की संख्या 2012-13 में 24,652 से तेजी से बढ़कर 2013-14 में 31,810 हो गयी। महिलाओं के विरुद्ध अपराध की घटनायें 2014-15 में भी कम नहीं हुईं।

महिलाओं के विरुद्ध बलात्कार; दहेज के लिए हत्या, दहेज हत्या अथवा इसका प्रयास; प्रताड़ना- मानसिक तथा शारीरिक दोनों; शील भंग करने के आशय से महिलाओं पर हमला; व्यपहरण तथा अपहरण; और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन प्रकरण ऐसे मुख्य अपराध थे जिनके अंतर्गत राज्य में सर्वाधिक संख्या में प्रकरण सूचित हुये तथा इनमें 2010-15 के मध्य उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इन श्रेणियों के अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की स्थिति की चर्चा आगामी प्रस्तर में की गयी है।


7-2 विरुद्ध अपराधों की संख्या (2010-11 से 2014-15)

बलात्कार, दहेज के लिए हत्या, दहेज हत्या अथवा इसका प्रयास, प्रताड़ना- मानसिक तथा शारीरिक दोनों, शील भंग करने के आशय से महिलाओं पर हमला, व्यपहरण तथा अपहरण और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन प्रकरण ऐसे मुख्य अपराध थे जिनका राज्य में महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराध की कुल घटनाओं के सापेक्ष योगदान 99 प्रतिशत से अधिक था। महिलाओं के विरुद्ध अपराध का श्रेणीवार विवरण एवं विगत पाँच वर्षों में उनकी प्रवृत्ति नीचे तालिका में दी गयी है:

तालिका 7-2 विरुद्ध अपराधों की संख्या (2010-11 से 2014-15)

क्र.सं.	वर्ष	बलात्कार	दहेज के लिए हत्या, दहेज हत्या अथवा इसका प्रयास	प्रताड़ना- मानसिक तथा शारीरिक दोनों	शील भंग करने के आशय से महिलाओं पर हमला	व्यपहरण तथा अपहरण	दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन प्रकरण	कुल	वृद्धि/घटती
1	2010-11	1,582	2,817	7,302	2,989	5,145	940	176	
2	2011-12	1,962	2,865	6,540	3,430	6,678	887	223	
3	2012-13	2,058	2,869	7,155	4,106	7,057	1,189	218	
4	2013-14	2,940	3,116	8,902	7,092	8,510	1,092	158	
5	2014-15	2,945	3,119	9,476	7,972	8,964	1,100	118	
कुल		11,487	14,786	39,375	25,589	36,354	5,208	893	

(स्रोत: गृह (पुलिस) विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना)



(स्रोत: गृह (पुलिस) विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना)


राज्य में महिलाओं के विरुद्ध मुख्य अपराधों का आयु-वार विश्लेषण *ifff'k"V 7-1* से 7-3 में दिया गया है।

लेखापरीक्षा में हमने पाया कि:

- कानूनी रूप से बलात्कार को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 की विभिन्न उपधाराओं में परिभाषित किया गया है तथा दण्ड का प्रावधान धारा 376 (1) एवं (2), 376-ए, 376-बी, 376-सी, 376-डी तथा 376-ई में किया गया है। बलात्कार के प्रकरणों में 2013-14 एवं 2014-15 में पिछले वर्ष की तुलना में अचानक 43 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि सबसे अधिक संख्या में (59 प्रतिशत) बलात्कार की पीड़ित नाबालिग लड़कियाँ थीं (*ifff'k"V 7-1*)। विगत दो वर्षों के दौरान बलात्कार के प्रकरणों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई (10 वर्ष तक के आयु वर्ग में 44 प्रतिशत, 11 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में 57 प्रतिशत तथा 18 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग में 27 प्रतिशत)। ऐसे जनपद जहाँ 2010-15 के दौरान सबसे अधिक संख्या में बलात्कार के प्रकरण सूचित किये गये वे अलीगढ़ (392), मुरादाबाद (377), इलाहाबाद (348), मेरठ (346) और आगरा व लखनऊ (328 प्रत्येक) थे।
- दहेज के लिए हत्या, दहेज हत्या अथवा इसका प्रयास से सम्बंधित प्रकरणों में विगत पाँच वर्षों में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत सूचित प्रकरणों की संख्या 2010-11 में 940 से बढ़कर 2014-15 में 1,100 हो गयी (17 प्रतिशत)।
- प्रताड़ना- मानसिक तथा शारीरिक दोनों से संबंधित प्रकरण 2010-11 में 7,302 से बढ़कर 2014-15 में 9,476 हो गये। इन प्रकरणों में 2013-14 में पिछले वर्ष की तुलना में 24 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
- शील भंग करने के आशय से महिलाओं पर हमला से सम्बंधित प्रकरण 2010-11 में 2,989 से बढ़कर 2014-15 में 7,972 हो गये। इस अपराध में सर्वाधिक संख्या (55 प्रतिशत) में पीड़ित नाबालिग लड़कियाँ थीं (*ifff'k"V 7-2*)। वर्ष 2013-14 में महिलाओं पर हमले के प्रकरणों में 73 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रदेश में ऐसे जनपद जहाँ 2010-15 के दौरान महिलाओं पर शील भंग करने के आशय से हमलों के सबसे अधिक संख्या में प्रकरण सूचित हुए वे लखनऊ (1,205), मेरठ (1,125), अलीगढ़ (1,067), आगरा (979) और इलाहाबाद (767) थे।
- व्यपहरण/अपहरण के प्रकरणों में भी 2010-15 की अवधि में निरंतर वृद्धि हुई जिसमें 2013-14 एवं 2014-15 में अत्यधिक वृद्धि हुई। अपराध की इस श्रेणी में सर्वाधिक संख्या (71 प्रतिशत) नाबालिग लड़कियों की थी (*ifff'k"V 7-3*)। राज्य में 2010-15 के दौरान व्यपहरण/अपहरण सम्बन्धी सर्वाधिक प्रकरणों वाले पहले पाँच जनपद अलीगढ़ (1,524), कानपुर नगर (1,511), आगरा (1,502), लखनऊ (1,274) और मेरठ (1,109) थे।

समापन गोष्ठी (दिसम्बर 2015) के दौरान चर्चा में शासन द्वारा तथ्यों का संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया गया।

7-3 ekuo rLdjh rFkk yki rk ykx



(स्रोत: गृह (पुलिस) विभाग)

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, कार्यवाही शोध 2004 द्वारा मानव तस्करी एवं लापता व्यक्तियों के संबंध को सामने लाया गया। लापता बच्चे बलात्कार, यौन उत्पीड़न, बाल पोर्नोग्राफी आदि के शिकार हो सकते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा लापता बच्चों की खोज में तेजी लाने एवं दोषियों को सजा सुनिश्चित करने के लिए सलाह निर्गत की गयी।

कानून व्यवस्था लागू कराने वाली संस्थाओं की सहायता करने तथा लापता बच्चों का

पता लगाकर उन्हें उनके परिवार से पुनः मिलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों का तंत्र तैयार करने हेतु प्रदेश में जिम्मेदार एवं सक्षम गैर सरकारी संगठनों को, नोडल गैर सरकारी संगठन के रूप में चिन्हित करने हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देशित किया गया।

गृह (पुलिस) विभाग द्वारा प्रदान की गयी सूचनाओं से यह पता चला कि 2010-15 के दौरान लापता लड़कियों/महिलाओं की संख्या में वृद्धि की स्थिति थी जैसा कि चार्ट 7.2 में प्रदर्शित है।

यह स्पष्ट था कि राज्य में लापता लड़कियों/महिलाओं की संख्या में 2010-15 की अवधि में समग्र रूप से 21 प्रतिशत की वृद्धि हुयी (ifj'k'V 7-4)। विभाग द्वारा पायी गयी लड़कियों तथा दोषियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया जबकि लेखापरीक्षा द्वारा इसकी माँग की गयी थी (अप्रैल 2015)। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा लापता बच्चों का पता लगाने तथा उन्हें उनके परिवार से पुनः मिलाने के लिए सिविल सोसाइटी (गैर सरकारी संगठन, सम्बंधित नागरिक गण आदि) की मदद लिये जाने से सम्बन्धित कोई उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया।

इस प्रकार राज्य में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की घटनाओं में वर्ष 2010-11 से 2014-15 के मध्य वृद्धि हुयी जिसमें मुख्य अपराधों जैसे बलात्कार, दहेज के लिए हत्या, दहेज हत्या अथवा इसका प्रयास, प्रताड़ना- मानसिक तथा शारीरिक दोनों, शील भंग करने के आशय से महिलाओं पर हमला, व्यपहरण तथा अपहरण और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन प्रकरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुयी। अपराध को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने के लिए, विशेषकर महिलाओं के विरुद्ध अपराध तथा विभिन्न कानून व्यवस्था सम्बंधी कार्यों के निष्पादन जैसे अपराध की रोकथाम एवं पता लगाने, लोगों की संरक्षा एवं सुरक्षा आदि के लिए पर्याप्त पुलिस जनशक्ति, जिसमें महिला पुलिस कर्मी भी शामिल हों आवश्यक हो जाती है। प्रदेश में पुलिस जनशक्ति की उपलब्धता की स्थिति, जिसमें महिला पुलिस कर्मी भी शामिल हैं, की चर्चा आगामी प्रस्तारों में की गयी है।

7-4 ifyl tu'kfDr

प्रदेश की 19.98 करोड़ की जनसंख्या (जनगणना 2011) की रक्षा करने के लिए 1,62,783 पुलिस कर्मी तैनात थे। इस तरह प्रदेश में कानून व्यवस्था को लागू करने तथा सभी प्रकार के अपराधों से निपटने के लिए, जिसमें महिलाओं के विरुद्ध अपराध भी शामिल है, प्रति एक लाख की जनसंख्या पर केवल 81 पुलिस कर्मी ही उपलब्ध थे। माननीय मंत्री, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लोक सभा के अतारांकित प्रश्न पर 22 जुलाई 2014 को दिए गए उत्तर के अनुसार उत्तर प्रदेश में, प्रति एक लाख की जनसंख्या पर पुलिस कर्मियों की स्वीकृत क्षमता 178.48 के सापेक्ष वास्तविक क्षमता मात्र 81.01 पुलिस कर्मी प्रति एक लाख जनसंख्या थी। यह इंगित करता है कि राज्य में पुलिस जनशक्ति की भारी कमी थी, जो स्वीकृत क्षमता से भी कम थी। प्रदेश में पुलिस जनशक्ति की तैनाती, राष्ट्रीय औसत 136.42 पुलिस कर्मी प्रति एक लाख जनसंख्या पर तथा संयुक्त राष्ट्र के मानक 222 पुलिस कर्मी प्रति एक लाख जनसंख्या से काफी कम थी।

स्वीकृत क्षमता तथा वास्तविक पुलिस जनशक्ति के सम्बन्ध में, उत्तर प्रदेश की अन्य मुख्य प्रदेशों के साथ तुलनात्मक स्थिति नीचे तालिका में दी गयी है:

rkfydk 7-3% fofHkUu çns' kka es Lohkr {kerk rFkk okLrfod ifyl tu'kfDrA

Ø0 0	i ns' k dk uke	ifr , d yk[k dh tul a[; k ij dy ifyl	
		Lohdr	okLrfod
1	उत्तर प्रदेश	178.48	81.01
2	असम	200.03	177.73
3	बिहार	88.10	68.81
4	गुजरात	188.15	113.16
5	कर्नाटक	150.98	117.41
6	मध्य प्रदेश	122.19	104.92
7	महाराष्ट्र	181.99	170.01
8	पंजाब	282.24	220.62
9	तमिलनाडु	168.97	138.62
10	उत्तराखण्ड	198.61	175.35
11	पश्चिम बंगाल	120.40	77.76
12	सम्पूर्ण भारत	181.47	136.42


(स्रोत: गृह मंत्रालय, भारत सरकार)

चूँकि उत्तर प्रदेश, देश में कुल हिंसक अपराधों की संख्या के सापेक्ष 12.7 प्रतिशत के साथ सर्वाधिक संख्या में हिंसक अपराध वाले प्रदेशों की सूची में सबसे ऊपर है तथा यहाँ महिलाओं के विरुद्ध अपराध की घटनाएं सर्वाधिक हैं, पुलिस जनशक्ति में 55 प्रतिशत की कमी पर यदि शीघ्र ध्यान नहीं दिया गया तो यह प्रदेश में अपराध के परिदृश्य को आगे और बिगाड़ सकती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये, जैसाकि महिलाओं के विरुद्ध अपराध की बढ़ती दर से स्पष्ट होता है जिसकी चर्चा पूर्व में प्रस्तर 7.1 तथा 7.2 में की गयी है।

1.1.1.1 शासन को प्रदेश में अपराध की बढ़ती हुयी घटनाओं, जिसमें महिलाओं के विरुद्ध अपराध भी शामिल है, पर प्रभावी नियन्त्रण के लिए पर्याप्त पुलिस जनशक्ति सुनिश्चित करना चाहिए।

7-4-1 efgyk i fyi dehl

यद्यपि प्रदेश में महिलाओं की जनसंख्या 9.53 करोड़ है और उत्तर प्रदेश उन कुछ राज्यों में शामिल है जहाँ महिलाओं के विरुद्ध अपराध सबसे अधिक है, राज्य में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या मात्र 7404 थी जो कुल उपलब्ध पुलिस बल का मात्र 4.55 प्रतिशत थी। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्यों को यह संस्तुति की गयी थी (सितम्बर 2009) कि पुलिस बल में 33 प्रतिशत तक महिलाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। महिला पुलिस कर्मियों की कम संख्या यह इंगित करती



(स्रोत: राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो)

है कि राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय की संस्तुतियों पर गम्भीरता से कार्य नहीं किया जिससे कि अपराध पीड़ितों के साथ अधिक मानवीय, संवेदनशील, उत्साहवर्धक एवं सौम्य बर्ताव किया जा सके।

1.1.1.1 नाबालिग लड़कियों एवं महिलाओं के विरुद्ध बड़ी संख्या में अपराध को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन को, महिला पुलिस कर्मियों को नियुक्त करने से सम्बन्धित गृह मंत्रालय की संस्तुतियों को कार्यान्वित करने पर विचार करना चाहिए।

7-5 çfke l ipuk fj i kV n t l djus e foyEc

उत्तर प्रदेश पुलिस नियमन की धारा 97 के अनुसार, जब भी किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने की सूचना (मौखिक अथवा लिखित) पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी को दी जाती है तो सूचना को तुरंत बिना किसी विलम्ब के चेक रसीद बुक में लिया जाना चाहिए, फिर चाहे वो गलत प्रतीत होती हो। जाँच में यह पाया गया कि तस्करी, बलात्कार तथा लड़कियों के अपहरण से सम्बन्धित कम से कम 62 प्रकरणों¹ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में विलम्ब हुआ इनमें से छः प्रकरण, जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट उच्च पुलिस अधिकारी के आदेश पर तथा 11 प्रकरण, जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट न्यायालय के निर्देश पर दर्ज हुयी, शामिल हैं (i f f ' k " V 7-5)।

7-6 Økbe , .M fØfeuy V f d x u s V o d l , .M f l L V e

राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स योजना के अन्तर्गत भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस बल को आधुनिक बनाने के लिये क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम योजना की परिकल्पना की गयी थी जिससे कि अपराध की जाँच एवं अपराधियों के पता लगाने के परिणामों में वृद्धि हो तथा समूचे राष्ट्र में तंत्र बनाकर विभिन्न पुलिस संगठनों एवं इकाईयों के बीच सूचना का संकलन एवं उसका प्रसार हो सके। प्रदेश सरकार ने 2009 में पुलिस बल को आधुनिक बनाने के लिये क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क

¹ गुड़िया (वाराणसी में स्थित एक गैर सरकारी संगठन जो महिलाओं के कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य कर रहा है) द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्य।

एण्ड सिस्टम को क्रियान्वित करने का निर्णय किया। क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम के कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर की क्रियात्मकता में मूल रूप से चार माड्यूलस पंजीकरण, विवेचना, अभियोजन, सर्च एवं रिपोर्टिंग तथा नागरिकों को इण्टरफेस उपलब्ध कराने हेतु एक पोर्टल शामिल था। क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम का उद्देश्य, उच्च स्तरीय खोज प्रणाली के विकास हेतु राष्ट्रीय तंत्र संरचना के निर्माण के द्वारा प्रत्येक स्तर पर विशेष रूप से पुलिस स्टेशन स्तर पर पुलिस कार्यों में दक्षता व प्रभावकारिता में वृद्धि लाने हेतु व्यापक एवं एकीकृत प्रणाली का निर्माण करना था।

राज्य में परियोजना के क्रियान्वयन में अत्यधिक विलम्ब हुआ। कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर के क्रियाशील होने के बाद भी प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण के अतिरिक्त अन्य क्रियाविधियां/मॉड्यूल का प्रयोग थानों एवं उच्चतर कार्यालयों में यदा-कदा ही किया जा रहा था। अग्रेतर, नागरिक केन्द्रित सेवाओं की परिकल्पना, जो पुलिस पोर्टल एवं एस.एम.एस. के माध्यम से उपलब्ध करायी जानी थी वो पूर्ण रूप से क्रियाशील नहीं थी। इस परियोजना के क्रियान्वयन के विस्तृत परिणाम भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन संख्या 1 अध्याय 2 में सम्मिलित किये गये हैं।

क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम के क्रियान्वयन में विलम्ब के कारण पुलिस बल का आधुनिकीकरण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ तथा संपूर्ण राष्ट्र में अपराध जाँच एवं अपराधियों की पहचान करने, विभिन्न पुलिस संगठनों एवं इकाईयों के बीच सूचना का संकलन एवं उसका प्रसार करने जैसे क्षेत्रों में परिणाम प्रभावित हुए।

1.1.1.1 पुलिस विभाग के क्रियाकलापों में परिचालन कुशलता को बढ़ाने हेतु कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर के सभी क्रियाकलाप जैसे विवेचना, अभियोजन, सर्च तथा रिपोर्टिंग के प्रभावी उपयोग हेतु उत्तर प्रदेश शासन को समुचित दिशानिर्देश जारी करना चाहिये।

7-7 विजयकान्ठस्य, (क्रिमिनल); कस्तुर; १

वित्तीय सहायता उस यन्त्रणा एवं मानसिक तनाव की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकती जो एक महिला को जघन्य अपराधों जैसे बलात्कार, तेजाब हमला आदि के कारण सहना पड़ता है। पीड़ितों को आघात से बाहर निकलने में मदद करने और एक गरिमापूर्ण तथा सार्थक जीवन जीने में सहायता प्रदान करने के लिये भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर क्षतिपूर्ति योजनायें बनायी गयीं। ऐसी दो योजनाओं यथा भारत सरकार की 'बलात्कार पीड़ितों को वित्तीय सहायता एवं समर्थन सेवायें: सशक्त न्याय हेतु योजना' तथा उत्तर प्रदेश सरकार की 'उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना' की चर्चा आगामी प्रस्तारों में की गयी है।

7-7-1 चक्रवर्तुः कस्तुर; 1 गक; रक, 0a | efkU | 0k; १

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश² पर भारत सरकार द्वारा 'बलात्कार पीड़ितों को वित्तीय सहायता एवं समर्थन सेवायें: सशक्त न्याय हेतु योजना' के नाम से एक योजना तैयार की गयी। इस योजना के अंतर्गत जनपद एवं राज्य स्तर पर क्रिमिनल इंजरीस रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन बोर्ड की स्थापना की जानी थी। इस

² रिट याचिका (क्रिमिनल) संख्या 362/93 (दिल्ली घरेलू कामकाजी महिलाओं का फोरम बनाम भारत का संघ एवं अन्य)।

योजना में ₹ 1.50 लाख की कुल नकद सहायता के साथ ₹ 0.50 लाख तक समर्थन सेवाओं जैसे परामर्श, आवास, चिकित्सा और कानूनी सहायता परिकल्पित थी।

जाँच में पाया गया कि राज्य में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा 2010–15 के मध्य केवल दो वर्षों (2010–12) के लिए ₹ 15.03 करोड़³ की धनराशि अंतरिम रूप से निर्धारित की गयी थी जिसके साथ यह शर्त थी कि वास्तविक आवंटन प्रस्तावित आवश्यकता एवं धन की कुल उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा इस प्रावधानित धनराशि का उपयोग नहीं किया गया जबकि 2010–12 के मध्य राज्य में बलात्कार के 3,544 प्रकरण सूचित किये गये थे।

1.1.1.1 बलात्कार पीड़ितों को मानकों के अनुसार वित्तीय सहायता एवं समर्थन सेवायें त्वरित रूप से प्रदान किया जाना चाहिए।

7-7-2 मूल्य ऋणों की प्रतिक्रिया; कस्तूर

पीड़ितों अथवा उनके आश्रितों, जिन्हें अपराध के कारण हानि या क्षति हुई और पुनर्वास की आवश्यकता है, को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, 2014 प्रारम्भ की गयी (अप्रैल 2014)। राज्य को प्रत्येक वर्ष इस योजना के लिये पृथक रूप से बजट आवंटन करना था जिसका संचालन सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाना था। पीड़ित को हुयी क्षति के आधार पर, पीड़ित या उसके आश्रितों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की मात्रा⁴ का निर्णय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को करना था।

जाँच में पाया गया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2014–15 लिये ₹ दो करोड़ स्वीकृत किये गये थे (मार्च 2015) परन्तु इसे पुलिस महानिदेशक के निवर्तन पर रखा गया था तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को जून 2015 तक हस्तांतरित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप पीड़ित अथवा उसके आश्रितों को वर्ष 2014–15 में इस योजना के अंतर्गत कोई क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं की जा सकी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उत्तर में बताया गया (जनवरी 2016) कि आवंटित धनराशि ₹ दो करोड़ उन्हें अक्टूबर 2015 में प्राप्त हुयी तथा अब तक ₹ 3.49 लाख का भुगतान दो पीड़ितों को किया जा चुका है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सूचना से यह ज्ञात हुआ कि क्षतिपूर्ति स्वीकृत होने के लिए प्राप्त कुल 18 प्रकरणों में से केवल दो प्रकरणों में क्षतिपूर्ति प्रदान की गयी। शेष 16 प्रकरणों में दिसम्बर 2015 तक कोई क्षतिपूर्ति नहीं प्रदान की गयी थी तथा इन प्रकरणों में चार से 20 माह का विलम्ब था जिसका मुख्य कारण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की संस्तुति प्राप्त करना था।

1.1.1.2 उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत पीड़ितों अथवा उनके आश्रितों को क्षतिपूर्ति का भुगतान बिना किसी विलम्ब के किया जाना चाहिए।

7-8 वेश्यावृत्ति

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 को अनैतिक देह व्यापार के निवारण के लिए लागू किया गया था। वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी की

³ 2010–11: ₹ 2.20 करोड़ तथा 2011–12: ₹ 12.83 करोड़।

⁴ बलात्कार: ₹ दो लाख; हानि या क्षति: ₹ एक लाख; संक्षारक पदार्थ का पीड़ित अर्थात् तेजाब हमला: ₹ तीन लाख; मृत्यु (गैर कमाऊ सदस्य): ₹ 1.5 लाख; मृत्यु (कमाऊ सदस्य): ₹ दो लाख; तथा मानव तस्करी का पीड़ित: ₹ दो लाख।

रोकथाम एवं मुकाबला करने के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के सम्मेलन में वित्तीय अथवा अन्य लाभों हेतु देश में अथवा देश से बाहर महिलाओं और बच्चों को, उनकी इच्छा अथवा अनिच्छा से, वेश्यावृत्ति के लिए ले जाने, बेचने अथवा क्रय करने को ट्रैफिकिंग के रूप में परिभाषित किया गया था।

गृह (पुलिस) विभाग द्वारा प्रदान की गयी सूचना के अनुसार राज्य में 154 प्रकरण⁵ (नाबालिग लड़कियाँ: 33; वयस्क महिलायें: 121) 2010–15 के दौरान अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हुए। शासन को ट्रैफिकड महिलाओं एवं बच्चों के लिए संरक्षण गृह एवं सुधार गृह स्थापित करना था तथा अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत संरक्षण गृह अथवा सुधार गृह स्थापित करने एवं रख-रखाव करने के लिए व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों को अनुज्ञप्ति निर्गत करनी थी। राज्य सरकार द्वारा स्थापित संरक्षण गृह एवं सुधार गृह की स्थिति की चर्चा नीचे की गयी है:

7-8-1 | ज {k.k x'g , oa | q/kkj x'g

महिला कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की गयी सूचना (अगस्त 2015) के अनुसार 48 जनपदों में 621 सेक्स वर्कर एवं 326 बच्चे थे।

जाँच में पाया गया कि शासन द्वारा अभी तक प्रदेश के शेष 27 जनपदों में सेक्स वर्करों को चिन्हित किया जाना बाकी था। अग्रेतर, शासन ने एक संरक्षण गृह आगरा में तथा एक सुधार गृह वाराणसी में, प्रत्येक 75 अंतःवासी की क्षमता के साथ, स्थापित किया था (अक्टूबर 2010)। यद्यपि, आगरा के संरक्षण गृह में केवल 27 अंतःवासी रह रही थीं (मई 2015) तथा वाराणसी के सुधार गृह में कोई अंतःवासी नहीं पायी गयी (अगस्त 2015)। इन गृहों की स्थिति भी प्रतिकूल एवं जीर्ण पायी गयी जैसाकि नीचे फोटोग्राफ में दर्शाया गया है:



इस प्रकार, बड़ी संख्या में सेक्स वर्कर एवं उनके बच्चों के होते हुए भी संरक्षण गृह/सुधार गृह में अत्यंत कम अंतःवासियों का होना यह इंगित करता है कि संरक्षण, व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं पुनर्वासन सम्बन्धी शासन की योजनायें प्रभावकारी नहीं थीं।

⁵ 2010–11: 0; 2011–12: 14; 2012–13: 78; 2013–14: 11; तथा 2014–15: 51 प्रकरण।

7-8-2 | DI odj ka ds cPpk dk dY; k.k

सेक्स वर्कर्स के बच्चों के कल्याण एवं विकास के लिए क्रेच, स्कूल पूर्व कार्यक्रम, दिन और रात में देखभाल हेतु केंद्र, परामर्श केन्द्र इत्यादि सुविधायें महत्वपूर्ण हैं। जांच में पाया गया कि विभाग द्वारा सेक्स वर्कर्स के बच्चों तक यह सुविधायें पहुँचाने के लिए कोई कार्य योजना नहीं बनायी गयी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें सशक्त उज्ज्वल भविष्य के लिये पर्याप्त अवसर प्राप्त हो तथा वे समाज से जुड़ सकें और देह व्यापार में शामिल न हों।

समापन गोष्ठी (दिसम्बर 2015) के समय चर्चा में शासन द्वारा तथ्यों का संज्ञान लेते हुये आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया।

7-9 mTtoyk& V\$Qfdx dh f'kdj efgykvka dk cpko , oa i ubkl ifjp;

उज्ज्वला, ट्रैफिकिंग की रोकथाम, वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए ट्रैफिकिंग के पीकार महिलाओं एवं बच्चों के बचाव और पुनर्वास के लिए एक योजना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा योजना का प्रारंभ वर्ष 2007 में किया गया था। इसका उद्देश्य सीमा पार के पीड़ितों को सम्मिलित करते हुए, पीड़ितों के पुनः एकीकरण और देह-प्रत्यावर्तन है।

इस योजना के लक्ष्य समूहों या मुख्य लाभार्थियों में महिलायें और पीड़ित बच्चे जिनका वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए ट्रैफिकिंग किया गया था, के साथ ही साथ वे असुरक्षित महिलायें एवं बच्चे हैं जो इस अपराध के पीकार बन रहे हैं। इन असुरक्षित वर्गों में झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग, सेक्स वर्कर के बच्चे, शरणार्थी, प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित बेघर आदि सम्मिलित हैं।

प्रदेशों में योजना महिला कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से ट्रैफिकिंग पीड़ितों को प्रत्यक्ष सहायता और लाभ प्रदान करने के लिए कार्यान्वित की जा रही है। योजना के तहत बचाये गये पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के प्रावधानों में भोजन, आवास, ट्रामा केयर और परामर्श शामिल है। तत्पश्चात्, पीड़ितों को सशक्त बनाने और स्वतंत्र जीवन जीने में सहायता प्रदान करने के लिए कौशल प्रशिक्षण, क्षमता वृद्धि, रोजगार व्यवस्था और आय-सृजन गतिविधियों में मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाना था।

उज्ज्वला एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसमें व्यय का 90 प्रतिशत अर्थात् भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है एवं शेष 10 प्रतिशत अर्थात् कार्यान्वयन संस्था (गैर सरकारी संगठन) द्वारा वहन किया जाता है। उज्ज्वला परियोजनाओं के लिए गैर सरकारी संगठनों को प्रदान किये जाने वाले अनुदानों के मानक (ifjfk"V 7-6½ में दिये गये हैं। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वयन संस्थाओं (गैर सरकारी संगठनों) को दो किस्मों में घटक-वार सहायता सीधे प्रदान की जाती थी। सामान्यतः प्रथम किस्म परियोजना की स्वीकृति के समय अवमुक्त की जाती है तथा द्वितीय और आगामी किस्मों, कार्यान्वयन संस्थाओं द्वारा पूर्व में निर्गत किस्मों एवं स्वयं के आनुपातिक अंश के उपभोग प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करने के बाद अवमुक्त किया जाना था। निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये उपभोग प्रमाण-पत्रों से परिलक्षित हुआ कि वर्ष 2010-15 के

मध्य भारत सरकार द्वारा केवल ₹ 66.07 लाख अवमुक्त किया गया था जिसके सापेक्ष कुल ₹ 56.02 लाख का व्यय किया गया था।

dk; kllb; u

7-9-1 mTtoyk ifj; kstukvka dk vfØ; k'khy gkuk

निदेशालय, महिला कल्याण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार वर्ष 2010-11 से 2014-15 के मध्य प्रदेश में केवल 13 उज्ज्वला परियोजनायें कार्यान्वित की गयी थीं। परियोजनाओं का विवरण ifj'k"V&7-7 में दिया गया है। योजना के मुख्य पाँच घटक थे, यथा निवारण, बचाव, पुनर्वास, पुनःएकीकरण और देश-प्रत्यावर्तन। यद्यपि, जाँच में पाया गया कि इन 13 स्वीकृत परियोजनाओं में से केवल एक में (बाराबंकी जनपद) योजना के समस्त पाँच घटक आच्छादित हो रहे थे।

अग्रेतर, लेखापरीक्षा जाँच में परिलक्षित हुआ कि सरकार द्वारा स्वीकृत कुल 13 परियोजनाओं में से नमूना जाँच जनपदों में चार घटक यथा निवारण, बचाव, पुनर्वास और पुनःएकीकरण से आच्छादित केवल तीन परियोजनायें (इलाहाबाद, प्रतापगढ़ और उन्नाव) थीं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीनों परियोजनायें बन्द थी तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा बताया गया कि जनपदों में परियोजनायें क्रियाशील नहीं थी।

लेखापरीक्षा में अग्रेतर पाया गया कि वर्ष 2011-12 और 2014-15 में गैर सरकारी संगठनों को कोई अनुदान अवमुक्त नहीं किया गया था। यह भी संज्ञान में आया कि 13 परियोजनाओं को अनुदान केवल छः से 15 माह की अवधि के लिए अवमुक्त किया गया था तथा 12 परियोजनाओं को द्वितीय एवं अनुवर्ती किर्त अवमुक्त नहीं की गयी थीं। द्वितीय किर्त अवमुक्त न किये जाने के संबंध में विभाग द्वारा कोई विहित कारण नहीं बताया गया था। चूंकि, परियोजनाओं के संचालन के लिए गैर सरकारी संगठन अधिकांशतः शासकीय अनुदान (90 प्रतिशत) पर निर्भर रहते हैं, अतः 13 में से 12 परियोजनाओं को लम्बे समय तक अनुदान अवमुक्त न करना इंगित करता है कि योजना अधिकांशतः अक्रियाशील थी। यद्यपि, निदेशालय महिला कल्याण द्वारा बताया गया कि ये 12 उज्ज्वला परियोजनायें चल रही थी।

इसे इंगित किये जाने पर निदेशालय, महिला कल्याण द्वारा उत्तर में बताया गया कि यह समस्या भारत सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त न किये जाने के कारण है। अग्रेतर, समापन गोष्ठी में वार्ता के दौरान, शासन द्वारा सूचित तथ्यों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का आवासन दिया गया।

7-9-2 I hekorh tui nka dk vkPNknu u fd; k tkuk

योजना के दिशा-निर्देशों में सीमापार के पीड़ितों के संबंध में सीमा-जांच केन्द्रों पर पारगमन केन्द्रों की स्थापना अर्थात् पारगमन विधिवि, भोजन और अन्य आकस्मिक व्यय की परिकल्पना की गयी थी।

संयुक्त राष्ट्र के ड्रग्स और अपराध कार्यालय के प्रतिवेदन⁶ के अनुसार नेपाल से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के जनपद, पारगमन क्षेत्र और महिलाओं और लड़कियों की ट्रैफिकिंग के लिए अति संवेदनशील थे। तथापि, निदेशालय, महिला कल्याण के अभिलेखों की

⁶ भारत देश आकलन प्रतिवेदन: संयुक्त राष्ट्र के ड्रग्स और अपराध कार्यालय का एक समीक्षा कमीशन।

जाँच में पाया गया कि नेपाल की सीमा पर स्थित जनपदों⁷ में कोई उज्ज्वला गृह स्थापित नहीं था। इस प्रकार, योजना के उद्देश्यों में से एक, सीमा-पार के पीड़ितों के बचाव और देश-प्रत्यावर्तन को सुगम करना सुनिश्चित नहीं किया गया था।

समापन गोष्ठी में वार्ता के दौरान, शासन ने इस तथ्य को संज्ञान में लिया और आवश्यक कार्यवाही करने का आवासन दिया।

7-9-3 vuqo.k

देश-निर्देशों के अनुसार, प्रमुख सचिव, महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया जाना था, जिसे परियोजना के अनुश्रवण के लिए वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करना था। अग्रेतर, कार्यान्वयन संस्थाओं को अनुदान जारी रखना, राज्य द्वारा संतोषजनक निष्पादन की सूचना पर आधारित था। यह भी परिकल्पित किया गया था कि राज्य द्वारा आवधिक निरीक्षण किया जायेगा। वाह्य संस्थाओं जैसे प्रतिष्ठित संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं, ब्लॉक स्तर के संस्थान और जनपद स्तर के संस्थान के द्वारा भी पृथक रूप से परियोजनाओं का आवधिक मूल्यांकन किया जाना था।

जाँच में पाया गया कि प्रमुख सचिव, महिला कल्याण विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन नहीं किया गया था। अग्रेतर, प्रतिष्ठित संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं, ब्लॉक स्तर के संस्थान और जनपद स्तर के संस्थान के माध्यम से परियोजनाओं का आवधिक मूल्यांकन नहीं किया गया था। निदेशालय द्वारा आवधिक निरीक्षण के लिए मानक/निरीक्षण कार्यक्रम भी निर्धारित नहीं किये गये थे।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर, निदेशालय महिला कल्याण द्वारा कोई विनिष्ठा उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया, यद्यपि, समापन गोष्ठी में वार्ता के दौरान शासन द्वारा बताया गया कि तथ्यों के सापेक्ष आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

7-10 fu"d"kl

विगत पांच वर्षों में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की घटनायें निरंतर बढ़ रही थीं। सम्पूर्ण भारत एवं अधिकांश राज्यों की तुलना में इस प्रकार के अपराध की घटनायें उत्तर प्रदेश में काफी अधिक थीं।

McLrj 7-1½

- महिलाओं के विरुद्ध गंभीर अपराध जैसे बलात्कार, दहेज के लिए हत्या, दहेज हत्या अथवा इसका प्रयास, प्रताड़ना— मानसिक तथा शारीरिक दोनों, शील भंग करने के आशय से महिलाओं पर हमला, व्यपहरण तथा अपहरण और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन प्रकरणों में काफी वृद्धि हुयी।

McLrj 7-2½

- अपराध की अधिक घटनाओं के बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा अपने पुलिस बल को अधिक सशक्त बनाने के लिये प्रभावी कदम नहीं उठाये गये क्योंकि प्रदेश, देश में प्रति एक लाख की जनसंख्या पर वास्तविक पुलिस जनशक्ति के मामले में, न्यूनतम पुलिस बल वाले राज्यों में सम्मिलित था।

McLrj 7-4½

⁷ बहराइच, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, पीलीभीत, श्रावस्ती और सिद्धार्थनगर।

- पीड़ितों को वित्तीय और अन्य सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया। वित्तीय सहायता एवं समर्थन सेवायें योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा पर्याप्त धनराशि का प्रावधान करने के बावजूद बलात्कार पीड़ितों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गयी और उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने में विलम्ब हुआ, और

¶CLrj 7-7-1 , or 7-7-2¶

- ट्रैफिकिंग महिलाओं हेतु उज्जवला परियोजनायें अधिकांशतः अक्रियगील थी। अग्रेतर, नेपाल के सीमावर्ती जनपदों में कोई उज्जवला गृह स्थापित नहीं किये गये थें। ट्रैफिकिंग के लिए ज्ञात गंतव्य केन्द्रों पर कोई उज्जवला परियोजनायें नहीं थीं।

(iLrj 7-9-1 , or 7-9-2)